बाबूलाल वगै बनाम चन्द्रभान वगै

प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन संख्या : 2022/266

18.08.2023	न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली 2012/00094 उनवान पूरण बनाम धन्नी दिनांक 21.08.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में तथा अदम तकमील में खारिज कर दी गई। जिसके पश्चात् दिनांक 28.09.2018 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 28.09.2018 को एसीएम दीगोद को भिजवा दी गई। प्रार्थी ने न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की जिसका निगरानी संख्या TA/6832/सन् 2019 है जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2019 में निगरानी को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण को निर्देशित किया गया कि वह न्यायालय हाजा में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि उक्त अपील स्व0 पूरणमल द्वारा माननीय न्यायालय में पेश की गई थी तथा उन्होंने अपने अधिवक्ता को भी नियुक्त कर रखा था तथा अपीलांट स्व0 पूरणमल हर पेशी पर उपस्थित होता आया किन्तु अपीलांट पूरणमल का अचानक दिनांक 26.05.2014 को बिना उक्त अपील के संबंध में प्रार्थीगण को जानकारी दिए ही स्वर्गवास हो गया इस कारण कोई भी प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके व ना ही वकील साहब से बात कर सका। इस कारण वकील साहब भी उक्त अपील में उपस्थित नहीं हो सके। इस कारण माननीय न्यायालय ने उक्त अपील जो कि मात्र अदम हाजरी में खारिज करना चाहिए था को अदम हाजरी के साथ साथ अदम तकमील में खारिज कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थीगण जो कि ग्रामीण क्षेत्र के है तथा अलग अलग गांव में निवास करते है उनको उक्त अपील के संबंध में कोई जानकारी नहीं होने पर न तो वह स्वयं उपस्थित हुए ना ही पूरणमल के अधिवक्ता साहब से संपर्क कर पाए। इस कारण उक्त अपील अदम हाजरी व अदम तकमील में खारिज कर दी है। स्व0 पूरणमल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने तथा उक्त अपील दिनांक 21.08.2018 को अदम तकमील में खारिज होने की जानकारी प्रार्थी नं0 01 बाबूलाल पुत्र पूरणमल बैरवा को पटवारी हल्का के पास दिनांक 22.10.2019 को उक्त विवादित जमीन की जानकारी प्राप्त करने जाने पर तथा पटवारी हल्का द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी होने पर दिनांक 23.10.2019 को अदालत में मालूमात कर नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 30.10.2019 को नकल मिली तथा नकल प्राप्त होने पर उक्त तथ्य की जानकारी हूई जिसके बाद प्रार्थीगण अपने गांव आया तथा समस्त प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी दी और रूपयों का इंतजाम कर उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश किये जाने के बाद प्रार्थीगण को राजस्व मण्डल के आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 08.01.2020 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर नकल प्राप्त कर रूपये का इंतजाम कर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार कर अपील रेस्टोर की जाकर अपील का पक्षकारान को सुनवाई का निस्तारण किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2022(1) पेज 822–824 पेश

किये। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित किया जा सकता है।

हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। मूल अपीलांट पूरणमल की मृत्यु दिनांक 26.05.2014 को होना अंकित किया है। जब दिनांक 26.05.2014 को ही अपीलांट की मृत्यु हो गयी थी, तो सम्बंधित अधिवक्ता को समय पर न्यायालय हाजा में इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। अपीलांट श्री पूरणमल की मृत्यु के पश्चात् भी लगभग 4 वर्ष 2 माह 26 दिन तक अपील न्यायालय हाजा में लंबित रही। अधिवक्ता अपीलांट को दिनांक 27.06.2014 से दिनांक 21.08.2018 तक बार–बार निर्देश देने के बाद भी वकील अपीलांट द्वारा सम्मन रेस्पो0 प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील दिनांक 21.08.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी तथा अदम तकमील में खारिज कर दी गई। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील को दिनांक 21.08.2018 को खारिज करने की जानकारी वकील अपीलांट को थी। वकील अपीलांट को जानकारी होने के बाद भी वकील अपीलांट ने 2019 में माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 29.11.2019 के पश्चात् न्यायालय हाजा में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.08.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन न्यायालय हाजा में दिनांक 16.01.2020 को पेश किया। जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन दिनांक 29.07.2022 को बहस में आ गया था। दिनांक 29.07.2022 को आगामी पेशी दिनांक 02.08.2022 वास्ते बहस नियत की गयी थी। अधिवक्ता अपीलांट को बार–बार आवाजें लगाने के बाद भी अधिवक्ता अपीलांट बहस के लिए उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन दिनांक 02.08.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में पुनः प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन दिनांक 11.10.2022 को प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 12.10.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.11.2022 को स्वीकार किया जाकर दिनांक 02.08.2022 को खारिज कर दिये गये प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन को पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाने के बाद उक्त प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन दिनांक 18.11.2022 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में मूल अपीलांट पूरणमल की मृत्यु दिनांक 26.05.2014 को हो चुकी थी। उसके पश्चात् न्यायालय हाजा में दिनांक 21.08.2018 तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। सम्मन भी लगभग 04 वर्ष तक प्रस्तुत नही किये गए। न्यायालय हाजा में पेशी दिनांक 27.06.2014 से लगातार अपीलांट को रेस्पोन्डेन्ट के सम्मन पेश करने हेतु आदेश दिए गए परंतु अपीलांट द्वारा, कई बार अंतिम अवसर दिये जाने पर भी 21.08.2018 तक सम्मन रेस्पो0 पेश नहीं किये गए। लगभग 04 वर्ष 01 माह तक सम्मन पेश नहीं करना वकील अपीलांट व अपीलांट के वारिसान की लापरवाही को दर्शाता है तथा सीपीसी के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है। जब दिनांक 26.05.2014 को पूरणमल की मृत्यु हो गई तो उनके अधिवक्ता के माध्यम से समय पर इसकी जानकारी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अपीलांट की मृत्यु के लगभग 04 वर्ष 02 माह पश्चात् अपील अदम पैरवी अदम हाजरी व सम्मन पेश नहीं करने पर अदम तकमील में खारिज की गई। यह अपीलांट व उनके वारिसान की लापरवाही रही है । माननीय राजस्व मण्डल में भी लगभग 01 वर्ष पश्चात् आदेश

दिनांक 21.08.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अवधि के सम्बंध में परिसीमा अधिनियम 1963 के आदेश 122 में अंकित किया गया है कि "उपसंजाति में व्यतिक्रम के कारण या अभियोजन के अभाव के कारण या आदेशिका की तामिल के खर्चे देने में असफलता या खर्चो के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण खारिज किए गए वाद या अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण्सा के लिए आवेदन का प्रत्यावर्तन कराने के लिए अवधि खारिज होने की तारिख से 30 दिवस है" तथा अपीलांट द्वारा कई बार मौके दिए जाने के बावजूद समय पर सम्मन प्रस्तुत नहीं करना भी सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन है। अधिवक्ता अपीलांट ने विलम्ब के जो कारण प्रस्तुत किये है, वह पर्याप्त व संतोषजनक नहीं है। अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र गंभीर रूप से अवधि बाधित है। लगभग 04 वर्ष से अधिक के विलम्ब को क्षमा करने का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण साबित करने में अपीलांट असफल रहे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र/अपील रेस्टोरेशन गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 18.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा